न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।
उपस्थितः संध्या चौधरी, एच0जे0एस0
(J.O. Code- UP 6161)

****

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या–264/2021 एन0आर0
(C.N.R. No. UPST010060602021)

1–शोभनाथ पाल पुत्र स्व0 राम कुबेर पाल
2–शेषनाथ पाल पुत्र स्व0 राम कुबेर पाल
3–दिव्यनाथ पुत्र स्व0 दूधनाथ
4–सिद्धनाथ पुत्र स्व0 दूधनाथ
5–सत्यनाथ पुत्र स्व0 दूधनाथ
6–सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 दूधनाथ
7–जयराम पाल पुत्र स्व0 रामलाल पाल
8–रामऔतार पाल पुत्र स्व0 स्वामीनाथ पाल
9–रामनयन पाल पुत्र स्व0 स्वामीनाथ पाल
निवासीगण ग्राम बालीपुर, पोस्ट लोहरामऊ, जिला सुलतानपुर

————प्रार्थीगण

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी/अपर उपजिलाधिकारी सदर, सुलतानपुर।
2–परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वाराणसी कार्यान्वयन इकाई डी0आई0वी0 कालोनी मकबूल रोड़ वाराणसी उ0प्र0 द्वारा परियाजना निदेशक
3–आर्बीट्रेटर/जिलाधिकारी जनपद सुलतानपुर

————विपक्षीगण

निर्णय

10.04.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 3क अन्तर्गत धारा 34 मध्यस्थम् पंचाट अधिनियम 1956, जिलाधिकारी सुलतानपुर/मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02–08–2021, वाद संख्या डी201804680002832, शोभनाथ पाल व अन्य बनाम सक्षम प्राधिकारी व अन्य अन्तर्गत धारा 6छ(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 दिया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थना पत्र 3क के तथ्य इस प्रकार है कि मध्यस्थ ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये यान्त्रिक रूप से मध्यस्थम् पंचाट दिनांकित 02.08.2021 पारित किया। मध्यस्थ ने वादग्रस्त माध्यस्थम् पंचाट दिनांकित 02.08.2021 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अधिग्रहण के प्रभावी विधियों की उपेक्षा करके मध्यस्थम् पंचाट पारित किया है। मध्यस्थ ने न्याय निर्णयन की प्रक्रिया में विधायिक की मंशा को प्राप्त करने का प्रयत्न कर उसे न्याय निर्णयन का आधार बनाने कोई प्रयत्न नहीं किया है। मध्यस्थ को अपने निष्कर्ष सम्प्रेक्षण में अधिग्रहीत जमीन की बाजारू कीमत पर विचार करना चाहिए था। क्षतिपूर्ति का प्रावधान वाले अधिनियम उपचारात्मक विधि की श्रेणी में आते हैं। जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा स्आम्प नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार अलहदादपुर ग्राम नगर पालिका परिषद सुलतानपुर की सीमा के अन्तर्गत आता है और प्रार्थीगण का गाटा सं0 182मि0 रकबा 0.1850हे0, गाटा सं0 184मि0 रकबा 0.0190हे0, गाटा सं0 185मि0 रकबा 0.0037हे0, गाटा सं0 186मि0 रकबा 0.1061हे0 एवं भूखण्ड सं0 251मि0 रकबा 0.0137हे0 ग्राम अहलदादपुर में स्थित है। इन्हीं गाटा संख्याओं का क्षेत्रफल अधिग्रहण राष्ट्रीय

राजमार्ग लखनऊ–वाराणसी के लिए किया गया। वादग्रस्त माध्यस्थ पंचाट सार्वजनिक नीति के विरूद्ध पारित की गयी है। वादग्रस्त माध्यस्थम् पंचाट दिनांक 02.08.2021 भारतीय विधि के मूलभूत नियम के उल्लंघन में पारित करने के कारण निरस्त होने योग्य है। मध्यस्थम् पंचाट दिनांक 02.08.2021 की पत्रावली आदेश में जाने के पश्चात् एवं माध्यस्थम् पंचाट दिनांकित 02.08.2021 पारित होने के पूर्व दूधनाथ पाल की मृत्यु हो गयी, इसलिए उनके वारिसान के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ विधि द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क मु0 200/–रूपये अदा किया जा रहा है। अतः वादग्रस्त मध्यस्थम् पंचाट दिनांकित 02.08.2021 जिलाधिकारी सुलतानपुर/मध्यस्थ वाद सं0 उपर्युक्त को निरस्त करने की याचना की गयी है।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. यह पत्रावली धारा 34 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि पंचाट युक्तियुक्त कारण दिये बिना तथा अधिग्रहण भूमि की क्षतिपूर्ति बाजार दाम में दिये बिना तथा ग्राम अलहादादपुर की भूमि का गलत अधिग्रहण लखनऊ–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए विधि विरूद्ध ढंग से किया गया है।

5. पंचाट दिनांकित 02.08.2021 सक्षम प्राधिकारी (राज्य सरकार) के द्वारा समस्त सुनवाई के उपरान्त किया गया है तथा पंचाट विधि के मान्य सिद्धान्तों व लोक नीति व सदाचार के विरूद्ध नहीं है। आपत्तिकर्ता को प्रत्येक स्तर पर श्रवण का अधिकार प्रदान किया गया है। पंचाट विधिक रूप से सर्किल रेट पर पारित है जो कि आस–पास की भूमियों के विक्रय–विलेखों में अंकित दर से अधिक है। पंचाट में प्रतिकर भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्स्थापन पुनर्व्यवस्थापन के अधिनियम 2013 के उपबन्धों के अधीन निर्धारित किया गया है तथा भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के उपबन्धों के अधीन प्रकाशन तिथि से अभिनिर्णय दिनांक तक 12 प्रतिशत की दर से अधिक प्रतिकर भी प्रदान किया गया है। प्रश्नगत भूमि ग्राम अलहादादपुर में ग्रामीण क्षेत्र की भूमि होने के कारण उस पर दोगुना धनराशि की भी गणना की गयी है। पंचाट अधिनियम की धारा 26 के अनुरूप विशेषज्ञयों के परामर्श पर भी विचारित है। प्रश्नगत भूमियों का प्रकाशन ''कृषि भमि'' के रूप में हुआ है, इसलिए कृषि भूमि के अनुरूप पंचाट सकारात्मक पारित है।

6. धारा 34 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंचाट को न तो दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों का और न ही सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों का अनुपालन करना होता है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था (जगजीत सिंह भजलल्लापुर (मृतक) द्वारा एल0आर0 व अन्य बनाम यूनिट ऑफ अपार्टमेन्ट्स बिल्डर्स 2020 (4) एससीसीडी 1521 एस0सी0) में विनिश्चित् किया गया है।

7. पंचाट मात्र भारतीय विधि सिद्धान्त व नितियों के विरूद्ध होने पर अथवा उभयपक्ष के संविदा शर्तो के विरूद्ध होने पर अथवा प्रचलित विधिक नितियों के विपरीत होने के आधार पर ही निरस्त किया जा सकता है। उपर्युक्त विनिश्चित् माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा (एस0बी0 समुन्दरम् बनाम केरल राज्य व अन्य ए0आई0आर0 2024 एस0सी0 447) में किया गया

है।

8. जिस न्यायालय के समक्ष धारा 34 पंचाट अधिनियम की आपत्ति प्रस्तुत की गयी है उस न्यायालय को पंचाट के साक्षियों को व प्रपत्रों को पुनः मूल्यांकन करके अपना विचार प्रतिस्थापित करके पंचाट को परिवर्तन अथवा निरस्त करने की कोई विधिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

9. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था एस0बी0 समुन्दरम् बनाम (उपर्युक्त) एवं (सोमदत्ता बिल्डर्स एन0सी0सी0—एन0ई0सी0) बनाम नेशनल हाइवे अथोर्टी ऑफ इण्डिया व अन्य सिविल अपील नम्बर 2048/2012 निर्णय दिनांक 27.01.2025 में किया गया है। धारा 34 पंचाट अधिनियम के अन्तर्गत आपत्तियो को सुनने वाले न्यायालय को मात्र निम्नलिखित आधार पर प्रश्नगत पंचाट में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार हैः—

1—यदि पंचाट लोक नीति के विरूद्ध है।

2—यदि पंचाट मूल भूत सिद्धान्तों के विपरीत है।

3—लोकहित व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है।

4—यदि पंचाट सामान्य नैतिकता व सदाचार के विरूद्ध है।

10. उपर्युक्त सिद्धान्त का माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था (झारखण्ड राज्य बनाम एच0एस0एस0 इन्टीग्रीटेड एस0जी0एन0 व अन्य 2020(1) एससीसीडी 20277 एस0सी0) में भी किया गया है।

11. प्रार्थना पत्र 3क अन्तर्गत धारा 34 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 3क निरस्त किया जाता है।

sd/-
(संध्या चौधरी)
अपर जिला जज,
कक्ष संख्या—01, सुलतानपुर।

दिनांकः 10.04.2026

आज यह निर्णयादेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(संध्या चौधरी)
अपर जिला जज,
कक्ष संख्या—01, सुलतानपुर।

दिनांकः 10.04.2026